पत्र संख्या-आई0टी0/ एन0आई0सी0 कम्प्यूटर साफ्टवेयर/(2016-2017)/ 710 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0-अनुभाग)
दिनॉक // लखनऊ // अक्टूबर, 26 2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के पत्रांक : आई0टी0/एन0आई0सी0 कम्प्यूटर साफ्टवेयर/(2016-2017)/695/1617042/ दिनॉक 21.10.2016 तथा समय-समय पर जारी पत्र/परिपत्र का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रस्तावित जी0एस0टी0 व्यवस्था हेतु विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के पैन अपडेशन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये है।

2- आप अवगत हैं कि दिनांक 01-04-2017 से प्रस्तावित GST व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन हेतु विभागीय डाटाबेस में पंजीकृत समस्त व्यापारियों के PAN सत्यापित कर GSTN के डाटाबेस में Migrate किया जाना आवश्यक है। GSTN द्वारा डाटाबेस के Migration हेतु दिनांक 16-12-2016 तक का समय प्रस्तावित किया गया है। अत: प्रत्येक दशा में निर्धारित अवधि से पूर्व PAN सत्यापित करने के कार्य को पूर्ण किया जाना अपरिहार्य है।

3- NSDL के माध्यम से सत्यापित किये गये PAN की सूची GSTN को उपलब्ध करायी गयी थी। GSTN द्वारा सूची की जांच कर अवगत कराया गया है कि 5687 व्यापारी ऐसे हैं जिनको एक ही PAN पर एक से अधिक TIN आवंटित किये गये हैं। सूची की जांच करने पर स्पष्ट होता है कि सूची में सरकारी विभाग तथा अन्य प्रकार की व्यापारिक फर्में भी सम्मिलित हैं। उक्त डाटाबेस को सही करने के सम्बंध में निम्नप्रकार निर्देश दिये जाते है :-

1- सरकारी विभागों के सम्बंध में सम्बंधित विभागों से यह अनुरोध किया जाए कि डाटाबेस के Migration हेतु वे किसी एक स्थान को अपना Head Office घोषित करें तथा Provisional Id प्राप्त होने के पश्चात अन्य समस्त लोकेशन जहां से व्यापारिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं उनको Branch Office के रुप में GSTN Portal में Add कर सकते हैं। अपने जोन से सम्बंधित सरकारी विभागों से उक्त के सम्बंध में सूचना प्राप्त कर Excel sheet में Last Column में Head Office अथवा Branch इंगित कर मुख्यालय **ctithqlu-up@nic.in** पर प्रेषित करने का कष्ट करें।

2- ऐसे समस्त प्राईवेट व्यापारिक फर्म जिनके एक ही PAN पर कई TIN उपलब्ध कराये गये हैं उनकी जोनवार सूची आपकी ई-मेल आई0डी0 पर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि सम्बंधित PAN को अपडेट कराने तथा अपडेशन न होने की स्थिति में व्यापारियों को Suspend करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। यह पत्र कमिश्नर वाणिज्य कर महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(विवेक कुमार)
एडीशनल कमिश्नर(जी0एस0टी0), वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।